



Neutral Citation No. - 2026:AHC:15531

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - सी - 497 वर्ष 2026

श्रीमती शशि कला और अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: हरि कुंवर अस्थाना, राजेश कुमार तिवारी, यश शेखर

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी., प्रदीप सिंह

न्यायालय संख्या - 2

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. कुछ बहस के बाद याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उन्हें इस रिट याचिका को वापस लेने की अनुमति दी जाए।
2. रिट याचिका वापस ले ली गई मानकर खारिज की जाती है।
3. यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं को उसी कारण पर नई रिट याचिका दायर करने की कोई स्वतंत्रता नहीं दी गई है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

21 जनवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"